आरोपी शंकर की ओर से अधिवक्ता श्री राजा चौधरी ने अर्थदण्ड राशि 500/— रसीद बुक कमांक 686/01/30.08.2014 से अदा की गयी।

प्रकरण में आरोपी के रिहायी बाबद् ज्ञापन जारी किया जावे। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाकर नस्ती को विधिवत् अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

STINIST PAROTO STATE OF STATE